न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपी0 वाद सं0–14/23–24

प्रमोद कुमार वगै0 बनाम दारा यादव

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
	आवेदक प्रमोद कुमार, सुरज यादव, केशर यादव, पिता–प्रमेश्वर यादव, जनक यादव, पिता–प्रमेश्वर यादव, ग्राम–खुट्टीकेवाल कलां, अंचल–हंटरगंज, जिला–चतरा अंचल अधिकारी, हंटरगंज के वाद संख्या–11/2023–24 में दिनांक–22.04.2023 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अधिवक्ता के माध्यम से विविध अपील वाद दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से निम्न न्यायालय अभिलेख की मांग की गई। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विद्व अधिवक्ता अपने लिखित कथन में यह उल्लेखित किया है कि**–"यह कि अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल किया गया अपील वाद विधि के तहत पोषणीय है तथा विद्वान अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक–22.07.2023 के विरूद्ध यह अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा लाया गया है, विद्वान अंचल अधिकारी, हंटगंज ने विपक्षी के प्रभाव में आकर गलत आदेश पारित किया है। प्रश्नगत भूमि का विवरण– साकिन मौजा–खुट्टी केवाल कला, थाना नं0–46, थाना–हटरगंज जिला–हजारीबाग, वर्तमान जिला–चतरा के अंदर खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65, 70 कुल रकवा–1.52 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में **भगता अहीर** पिता शोतही अहीर के नाम से रैयती कायमी जमीन दर्ज है। सर्वे रैयत अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज दखलकार रहे तथा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद निर्गत कराते रहे तथा तरह–तरह के फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे। यह कि सर्वे रैयत भगता अहीर की मृत्यु अपने एक मात्र पुत्र बेंगु महतो को छोड़कर मरे, जो अपने पिता के मरने के बाद बेंगु महतो शांतिपूर्वक काबिज दखलकार हुए तथा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि बेंगु महतो अपने वारिसान के रूप में हरखु महतो को छोड़कर मरे। हरखु महतो अपने पिता के मरने के बाद उपरोक्त वर्णित जमीन पर शांतिपर्वूक काबिज दखलकार हुए। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद हरखु महतो अपने नाम से बिहार सरकार अंचल हंटरगंज के द्वारा अपने नाम से डिमाण्ड खोलकर सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे तथा तरह–तरह का फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे, जो इस बात की जानकारी खुट्टी केवाल के ग्रामीणों के अलावे सभी इलाकेदार के लोग जानते हैं। यह कि हरखु महतो अपने वारिसान के रूप में एकमात्र पुत्र प्रमेश्वर महतो को छोड़कर मरे, जो अपनेक पिता के मरने के बाद शांतिपूर्वक काबिज दखलकार हुए। प्रमेश्वर महतो तीन पुत्र को छोड़कर मरे जिनका नाम क्रमशः सुरज यादव, जनक यादव, केशर यादव है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद संयुक्त रूप से काबिज दखलकार हुए तथा लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते रहे। यह कि सुरज यादव के दो पुत्र प्रमोद यादव एवं	

दामोदर यादव है, जो इस अपील वाद में अपीलार्थी है, जो अपने पूर्वजों की सर्वे रैयती जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज दखलकार तथा सरकार को लगान देकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत कराते चले आ रहे है, जो इस बात की जानकारी पूरे खुट्टी केवाल के ग्रामीणों के साथ–साथ सभी इलाके के लोग जानते हैं। अपीलर्थीगण अपने पूर्वजों की वंशावली इस लिखित कथन के अनुसूचि – "क" में दर्शाय है, जो लिखित कथन का भाग है। यह कि अपीलर्थीगण के द्वारा यह अपील वाद की प्रस्तुती अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक–22.07.2023 के विरूद्ध लाया गया हैं। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के तहत् पोषणीय नही है तथा Jharkhand Record Maintenance Act, 1973 की धारा 14 के नियम के विरूद्ध है। यह कि विपक्षी दारा यादव काफी चतुर, धूर्त एवं भू–माफिया, बेईमान व्यक्ति है तथा इसका भतिजा बीस सुत्री कार्यक्रम के आध्यक्ष है, विपक्षी दारा यादव गरीब व्यक्तियों के जमीन को हड़पने हेतु तरह तरह का षड़यंत्र रचते रहता है तथा कुटरचीत दस्तावेज के आधार पर जमीन को हड़पने का योजना बनाने में काफी प्रवीण है। यह कि विपक्षी अपने धन एवं राजनिति व्यक्तियों के बदौलत अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा गलत ढंग से पारित करवाया है। यह कि विपक्षी दारा यादव के द्वारा गलत वंशावली बनाकर अंचल अधिकारी हंटगरंज कार्यालय में उतराधिकारी नामान्तरण दाखिल खारिज कराने हेतु आवेदन दिया है, विपक्षी का आवेदन बिल्कुल बनावटी, झुठी बातों पर आधारित है, विपक्षी दारा यादव के द्वारा दाखिल किया गया वंशावली गलत है, विपक्षी दारा यादव बाहरी व्यक्ति है तथा अपीलार्थीगण विपक्षी के वंशज में नही है। यह कि विपक्षी दारा यादव के द्वारा गलत आवेदन अंचल कार्यालय, हंटरगंज में दिया खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65, एवं 70 कुल रकबा–1.52 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में मंगरा अहीर पिता शितली अहीर के नाम से रैयती कायमी जमीन है, विपक्षी के द्वारा यह भी गलत कथन किया है कि मंगरा अहीर के दो पुत्र बंधु महतो एवं बेंगु महतो है, जबकि खाता संख्या–23 के सर्वे खतियानी रैयत भगता अहीर तथा भगता अहीर के एक मात्र पुत्र बेंगु महतो थे तथा बेंगु महतो का एक मात्र पुत्र हरखु महतो थे। हरखु महतो का भाई बंधु महतो नही थे, बंधु महतो ग्राम–डटमी का रहने वाला है। हरखु महतो का बंधु महतो के साथ किसी प्रकार का रक्त संबंध नहीं है। यह कि अपीलार्थीगण का श्रीमान से निवेदन करना है कि बंधु महतो का नाम दर्शाकर इनलोगों का रैयती जमीन को हड़प लेना चाहते है। यह कि विद्वान अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा कभी स्थल जॉच नही किया गया है और न ही ग्रामणों से ही राय वंशावली के विरूद्ध पर लिया है, बंधु महतो, ग्राम–डटमी का रहने वाले व्यक्ति थे, जो खुट्टी केवाल के ग्रामीण लोग उस बिन्दु पर साक्ष्य देने के लिए भी तैयार है। यह कि अपीलार्थीगण श्रीमान् का इस बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट कराना है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आकर आदेश पारित किया है, जबकि अंचल अधिकारी के द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है। अंचल अधिकारी, हंटरगंज को खुट्टी केवाल कला के वृद्ध व्यक्तियों से भी राय लेना आवश्यक था। भा0 सा0 अधिनियम की धारा 50 के अनुसार वंशावली के बिन्दु पर वही व्यक्ति राय दे सकता है, जो पक्षकारों का वंशज की पूर्ण जानकारी है तथा वैवाहिक एवं मृत्यु में आना जाना रहता है। यह कि अपीलार्थीगण ने वंशावली के बिन्दु पर काफी खोज बीन किया तो मालूम हुआ कि विपक्षी दारा यादव ने माननीय, उच्च न्यायालय, झारखण्ड रॉची में रीट दाखित किया था, जिसमें गलत तरह का वंशावली बनाकर दिया है तथा जब दारा यादव अपनी पुत्री सोनी कुमारी, जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु हंटगरंज

कार्यालय में आवेदन दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय रांची में दाखिल किया गया वंशावली तथा अंचल कार्यालय में दाखिल किया गया वंशावली भिन्न है तथा उपरोक्त वर्णित विविध वाद में दर्शाया गया वंशावली एक दूसरे से भिन्न है तथा तीनों वंशावली एक दूसरे से भिन्न है, जिसे देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी दारा यादव अपीलार्थी के रैयती जमीन को हड़पने हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार का वंशावली दाखिल कर प्रश्नगत जमीन को हड़पने चाहते हैं, जबकि अपीलार्थीगण ने वंशावली को ग्राम पंचायत नावाडीह के मुखिया के द्वारा वंशावली बनाकर दाखिल किया है। यह कि अपीलार्थीगण श्रीमान् का ध्यान पुनः आकृष्ट कराना चाहते हैं कि सर्वे खतियानी रैयत का नाम भगता अहीर पिता शोतही अहिर है, जिसे विपक्षीगण भगता अहिर का स्थान पर मंगर अहिरा पिता शितली अहिर बता रहा है, जो केवल दुषित मन से एवं बेईमानी के नियम तथा अपीलार्थी के सर्वे रैयती जमीन को हड़पने के ददेशय से बनाया है। यह कि श्रीमान का ध्यान आकृष्ट कराना है कि विद्वान अंचल अधिकारी, हंटरगंज ने पिक्षी से बिना सुनवाई एवं दस्तावेज अवलोकन किये बगैर ही आदेश पारित किया है जो खारिज करने के लायक है। यह कि महत्वपूर्ण बात उल्लेख करना है कि विपक्षीगण ने अपने लिखित कथन में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिमय 1956 के धारा 08 का उल्लेख किया है, जो इस विविध वाद में पोषणीय नही है तथा हिन्दु उत्तराधिकर अधिनियम तब लगू होता है, जब एक वंशज का व्यक्ति होता है, परंतु इस विविध वाद विपक्षीगण के द्वारा दाखिल किया गया वंशावली ही भिन्न एवं त्रुटिपूर्ण है तथा अपीलार्थीगण ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि विपक्षीगण अलग खानदान का है। यह कि विपक्षीगण कहना गलत है कि बंधु यादव मवेशी को रहने एवं चारागाह के भूमि के कारण खुट्टी केवाल खूर्द छोड़कर मौजा डटमी बस गये। सत्य बात यह है कि विपक्षीगण बंधु यादव, मौजा–डटमी के थे, खुट्टी केवाला से इनलोगों का कोई वास्ता सरोकार नही था वो न ही है। यह कि विपक्षीगण ने केवल काल्पनिक एवं बनावटी बातों का उल्लेख किया है। यह कि विपक्षीगण ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया है जो इस मुकदमा में पोषणीय नही है। गलत एवं काल्पनिक बातो पर आधारित जवाब है। यह कि विपक्षी ने अपने जवाब सत्य बात का उल्लेख किया है, दारा यादव, मंगरा अहीर उर्फ पच्चु महतो का वंशज है, जो डटमी मौजा का था, जबकि अपीलार्थीगण भगता अहीर पिता शोतही अहीर, मौजा खुट्टी केवाल कला का रहने वाले थे। यह कि विपक्षीगण तथा विपक्षीगण दो अलग अलग खानदान तथा अलग अलग मौजा के व्यक्ति थे अपीलार्थीगण एवं विपक्षीगण के बीच एक ग्लास पानी का भी रिस्ता नही था और ना ही है। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज को जमाबंदी त्रुटि को देखना है ना कि हक–हकियत एवं वंशावली के बिन्दु पर आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त नही है, केवल व्यवहार न्यायालय को ही देखने का शक्ति है, अतएव अंचल अधिकारी, हंटरगंज को बंटवारा करने एवं पृथक जमाबंदी खोलने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि भू–राजस्व कर्मचारी ने विवादित स्थल पर जाकर जाँच नही किया, बल्कि भू–राजस्व कर्मचारी ने टेबुल वर्क किया है तथा भू–राजस्व कर्मचारी ने एक पक्षीय बातों को अपने जाँच रिपोर्ट में उल्लेख किया है, जाँच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज एवं भू–राजस्व कर्मचारी, हंटरगंज ने विपक्षी दारा यादव के प्रभाव एवं मेल में आकर गलत रिपोर्ट दिया एवं अंचल अधिकारी के द्वारा गलत आदेश पारित किया है। यह कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, हंटरगंज के द्वारा पारित आदेश में काफी त्रुटिपूर्ण एवं कानूनी दृष्टी से पोषणीय नही है, जिस कारण से श्रीमान् के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है तथा

खारिज करने के लायक है।" अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी हंटरगंज के द्वारा विविध वाद संख्या–11/2023–24 में अंचल अधिकारी , हंटरगंज के द्वारा पारित दिनांक–22.07.2023 के आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

पुनः प्रथम पक्ष के विद्व अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–"भारतीय साक्ष्य अधिनियम 50 के अनुसार The special means of knowledge which the section speaks of are means which the person whose openion is sought to be proved have must the language the section does not warrant the enterpritention that such means must be had by the witnesses who proves the openin in question A.I.R 1981, Patna Page No.103 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 50 के संबंध में यह भी उल्लेख किया गया है तथा निर्णय दिया गया है कि Competent witness must fulfill condition laid-down in the latter part of the section the neighbor is competent witness the person residing 100/150 cubites away from disputed property are neighbours they are thus not competent witness-A.I.R 1959 Supreme Court page No 914 long running Jamabandi cannot be cancelled and reduse, Krishan Pada mahto versus state of Jharkhand. यह कि अपीलार्थीगण ने वंशावली के बिन्दु पर काफी खोज–बीन किया तो मालूम हुआ कि विपक्षी दारा यादव ने माननीय, उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची में रीट दाखिल किया था, जिसमें इस विविध वाद में दाखिल किये गये वंशावली से भिन्न का वंशावली बनाकर दिया है तथा जब दारा यादव अपनी पुत्री सोनी कुमारी, जाति प्रमाण–पत्र बनाने हेतु हंटरगंज कार्यालय में आवेदन दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, रांची में दाखिल किया गया वंशावली तथा अंचल कार्यालय में दाखिल किया गया वंशावली भिन्न है तथा उपरोक्त वर्णित विविध वाद में दर्शाया गया वंशावली एक दूसरे से भिन्न है तथा तीनों वंशावली एक दूसरे से भिन्न है जिसे देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी दारा यादव अपीलार्थी को रैयती जमीन को हड़पने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार का वंशावली दाखिल कर प्रश्नगत जमीन को हड़पना चाहते हैं, जबकि अपीलार्थीगण ने वंशावली को ग्राम–पंचायत नावाडीह के मुखिया के द्वारा वंशावली बनाकर दाखिल किया है तथा नावाडीह के मुखिया किस आधार पर वंशावली बनाकर दिया, इसका विवरण भी नहीं दिया है। यह कि श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना है कि अपीलार्थी का जमाबंदी उन्मूलन के बाद से लगातार सरकारी मालगुजारी रसीद प्रश्नगत जमीन का निर्गत होते चला आ रहा है तथा प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्वक दखल–कब्जे में अपीलार्थीगण का चला आ रहा है, इसी संदर्भ में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची के द्वारा न्यायिक अवधारणा दिया गया है कि Appellants continue to pay the rent till the year 1967-68 the revenue authority refused to accept the rent from the Appellant and were Opp. Party are claiming the land in question of basis of right, title and share then Opp. Party should have filed suit for declaration of his right, title. Interst before competent Court and it is settled law that Zamabandi once created cannot be cancelled P.L.J.R. 1999 Vol. (i) page 67 in regard of presumption exclusive possession by itself would Act give rise to any presumption of Tenancy A.I.R. 199 S.C. Page No. 3873 यह कि हंटरगंज के द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी हंटरगंज के द्वारा पारित आदेश में काफी त्रुटिपूर्ण एवं कानूनी दृष्टी से पोषणीय नही है, जिस कारण से श्रीमान् के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है तथा खारिज करने के लायक है।" अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी हंटरगंज के द्वारा विविध वाद संख्या–11/2023–24 में अंचल अधिकारी , हंटरगंज के द्वारा पारित दिनांक–22.07.2023 के आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया

गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित कथन में यह उल्लेखित किया है कि–"यह है कि यह वर्तमान विविध अपील वाद अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के विविध वाद संख्या–11/2023–24 में दिनांक–22.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है। यह है कि वर्तमान अपील वाद कानून के तहत् पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने के योग्य है। यह है कि प्रथम पक्ष का दावा काल्पनिक कागजातों के आधार पर है। यह है कि वर्तमान विवाद प्रश्नगत भूमि मौजा–खूंटी केवाल कला, खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65, 70 कुल रकबा–1.52 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह है कि विपक्षी दारा यादव के द्वारा अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के समक्ष आवेदन दायर किया गया था, जिसे विविध वाद संख्या–11/2023–24 के रूप में संधारित कर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग गई तथा इस संदर्भ में आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया। यह है कि अपीलार्थी प्रमोद यादव एवं अन्य के दारा आपति दर्ज की गई। यह है कि अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार आदेश पारित किया गया है। यह है कि प्रश्नगत भूमि ग्राम–खुंटी केवाल कला, थाना–हण्टरगंज के खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65 एवं 70 कुल रकबा–1.52 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में मंगरा अहिर के नाम से सर्वे के दौरान दर्ज है।" द्वितीय पक्ष के द्वारा वंशावली अपने आवेदन में दर्शाया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि–"सर्वे खतियानी रैयत मंगरा अहिर अपने पीछे दो पुत्र बंधु महतो एवं बेगु महतो को छोड़कर मृत हुए, जो संयुक्त रूप से अपने पिता के सम्पति का उतराधिकारी हुए। यह है कि बंधु महतो अपने पुत्र लच्छु महतो को छोड़कर मृत हुए। लच्छु महतो अपने चार पुत्र कैलाश यादव, कुलदीप यादव, नारायण यादव एवं दारा यादव को छोड़कर मृत हुए, ये सभी संयुक्त सम्पति के उत्तराधिकारी हुए। यह है कि बेगु महतो अपने पुत्र हरखु महतो को छोड़कर मृत हुए। यह है कि बेगु महतो अपने पीछे अपने पुत्र हरखु महतो को छोड़कर, हरखु महतो अपने पुत्र परमेश्वर यादव को छोड़कर तथा परमेश्वर यादव भी अपने तीन पुत्र सूरज यादव, जनक यादव एवं केशर यादव को छोड़कर मृत हुए। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि खाता संख्या–23, रकबा–1.52 एकड़ भूमि सर्वे रैयत भगता अहिर के नाम से दर्ज होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि मौजा–खुटी केवाल कला खाता संख्या–23 सर्वे खतियान में मंगरा अहिर, पिता–सिताबी अहिर के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी के द्वारा इस संबंध में कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। यह है कि विवादित भूमि खाता संख्या–23, कुल रकबा–1.52 एकड़ भूमि के खतियान में विपक्षी के पूर्वज का नाम दर्ज है। इस तरह उक्त भूमि पर विपक्षी का राईट, टाईटल, इन्ट्रेस्ट तथा दखल कब्जा है। यह है कि विपक्षी जो बंधु यादव के वंशज में आते है। बंधु महतो विपक्षी के दादा है। बंधु यादव चारागाह की कमी होने के खूंटी केवाल कला से डटमी में जा कर बस गये थे। यह है कि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् पिता की सम्पति पर पुत्र का अधिकार जन्म से ही होता है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा गलत तरीके से यह बताया जा रहा है कि विपक्षी अपीलार्थी से संबंधित नहीं है। अपीलार्थी एवं विपक्षी आपस में गोतिया है। यह है कि अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा सही तरीके से रकबा–0.701/2 एकड़ भूमि का जमाबंदी द्वितीय पक्ष के पक्ष में कायम किया गया है।" द्वितीय पक्ष के द्वारा अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, हंटरगंज ने अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि–''इस अभिलेख का संधारण आवेदक द्वारा समर्पित आवेदक के आलोक में किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन में उल्लेख किया है कि ग्राम–खुट्टीकेवाल कलां में मंगरा अहीर के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। ग्राम–खुट्टीकेवाल कलां में सर्वे खतियान रैयत के पोता हरखु महतो पिता–बेगु महतो के नाम से खाता सख्य–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65 एवं 70 कुल रकबा–1.52 एकड़ का रसीद निर्गत हो रहा है। आवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त खाता प्लॉट में दारा यादव, कैलाश यादव नाम से उतराधिकारी बटवारा कर अलग रसीद निर्गत हो रहा है। आवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त खाता प्लॉट में दारा यादव, कैलाश यादव के नाम से उतराधिकारी बटवारा कर अलग रसीद निर्गत करने की कृपा की जाय। आवेदक के आवेदन के आलोक में संबधित राजस्व कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई प्रतिवेदित भूमि के जमाबंदीदार/प्रथम पक्ष को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग करे। निर्धारित समयानुसार राजस्व कर्मचारी के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया तथा उभय पक्षों के द्वारा उपस्थिति दी गई है। उभय पक्षों के द्वारा अपने पक्ष में राजस्व कागजात वो लिखित जवाब समर्पित किया गया।

<u>प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित राजस्व कागजात।</u>

- खतियान का छायाप्रति।
- अपने पक्ष में लिखित जवाब।
- शपथ पत्र सख्या–2359/23.05.2023 का छायाप्रति।

<u>द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित राजस्व कागजात।</u>

- अपने पक्ष में लिखित जवाब।
- लगान रसीद संख्या–449605/199–2000 का छायाप्रति।
- ऑफलाईन पंजी 2 का सत्यापित प्रति।
- खाता संख्या–23 का खतियान की प्रति परन्तु खतियान की प्रति किसी कार्यालय से सत्यापित नही है।
- ऑनलाईन पंजी–02 पृष्ठ संख्या–23/1, 22/1, 57/3 का छायाप्रति परंतु इस वाद से पंजी–2 पृष्ठ संख्या–23/1, 22/1, 57/3 से संबंधित नही है।

<u>राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन।</u>

राजस्व कर्मचारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक दारा यादव, पिता–स्व0 लछु यादव ने आवेदन दिया है कि ग्राम–खुट्टीकेवाल कलां में मेरे पर दादा मंगर अहीर के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है जिसका खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–67, 64, 65 एवं 70 कुल रकबा–1.40 एकड़ है। वर्तमान में मै डटमी थाना–हंटरगंज में रह रहा हुं।

मंगर अहीर का वंशावली निम्न प्रकार है:–

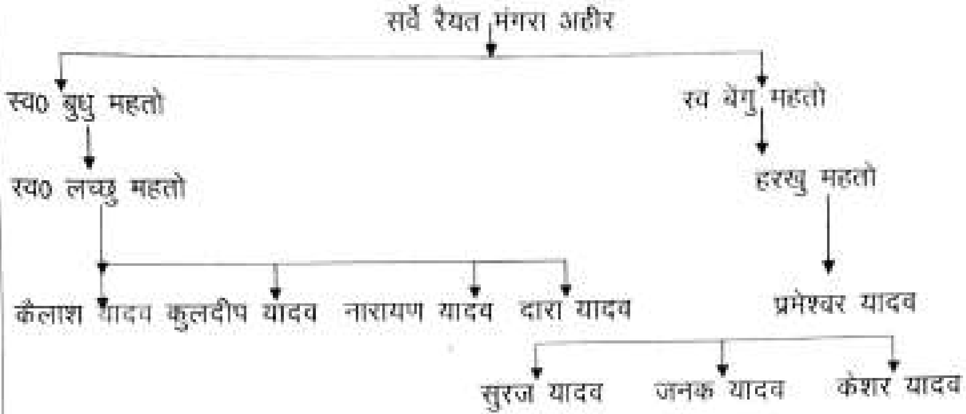

वर्तमान में हरखु गोप पिता बेगु महतो के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–23/1 पर खाता संख्या–23 कुल जमाबंदी रकवा–1.52 एकड़ का रसीद 2001–03 तक निर्गत है।
<u>**स्थल जाँच:–**</u> दिनांक–26.05.2023 को आवेदक दारा यादव द्वारा दिये गये उत्तराधिकारी जमाबंदी नामातरण के आवेदन का जाँच के क्रम में वंशावली के आधार पर प्रमोद कुमार, केशर यादव एवं जनक यादव से पुछ–ताछ के क्रम में बताया कि आवेदक दारा यादव हमारा कोई गोतिया नहीं है। प्रमोद कुमार पिता–सुरज यादव वो केशर यादव पिता प्रमेश्वर यादव वो जनक यादव पिता–सुरज यादव द्वारा बताया गया कि मुलिया देवी पति बेगु यादव ग्राम–खुट्टीकेवाल कलां के खतियान में दर्ज रैयत के वंशज नहीं है। ग्राम–खुट्टीकेवला कला के खाता संख्या–24 सर्वे खतियान के अनुसार मेघु वो कोमल गोवाला के नाम से रैयती भूमि है। सर्वे खतियान रैयत मेघु गोप वो कोमल गोवाला के नाम से रैयती भूमि है। सर्वे खतियान रैयत मेघु गोप के बहन मुलिया देवी जो आवेदित वंशावली में दर्ज खाता से मेल नही खाता है। आवेदक खाता संख्या–21 के खतियान से वंशावली बनाए है जो मंगरा ग्वाला नावल्द है तथा आवेदक द्वारा वंशावली बनावटी है, जैसा की प्रतिवादी रैयत केशर यादव में बताया जिसकी लिखित ब्यान इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। अतः वाद द्वारा दारा यादव एवं प्रतिवेदी प्रमोद कुमार केशर यादव एवं जनक यादव को कार्याय द्वारा नोटिस कर मूल कागजात की मांग की जा सकती है।''

<u>**अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का आदेश पत्रक के अनुसार– आवेदक के द्वारा समर्पित राजस्व कागजात वो लिखति जवाब तथा राजस्व कर्मचारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होता है:–**</u>

- **खतियान के अनुसार मौजा–खुट्टीकेवाल कलां थाना संख्या–46, खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65 एवं 70 कुल रकवा–1.41 एकड़ भूमि का खतियानी रैयत मंगरा अहीर दर्ज है। प्रतिवेदित भूमि रैयती खाते की है।**
- राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनुसार एवं आवेदक के द्वारा शपथ पत्र संख्या–3359/22.05.2023 को खतियानी रैयत मंगरा अहीर दर्ज है।

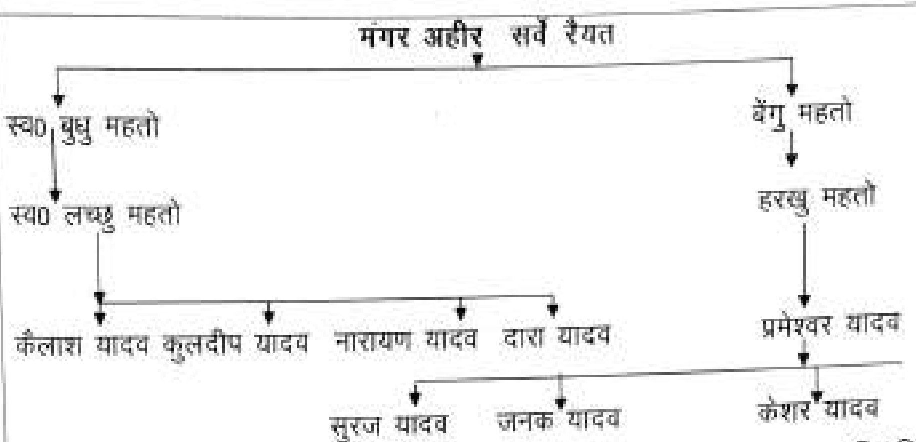

• प्रथम पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के दावा किया गया जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को खतियानी रैयत का वंशज नही होने का दावा राजस्व कर्मचारी के द्वारा दिनांक–26.05.2023 को स्थल निरीक्षण के दौरान लिखित ब्यान मे दावा किया द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित खतियान की छायाप्रति एवं प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित खतियान की प्रति का अवलोकन किया है जिसमें प्रथम पक्ष का खतियान में मंगरा अहीर खतियानी रैयत है जिसकी पुष्टि राजस्व कर्मचारी के द्वारा भी किया गया है जबकि द्वितीय पक्ष प्रतिवेदित भूमि का खतियानी रैयत भगता अहीर जो विचारणीय प्रश्न है।

• प्रथम पक्ष/आवेदक अपने अभिवचन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय SCR1954 page No-243 C.N. Arunachala Mubaliar Verses C.A. Muranjantha had held that. It is Law that the property Inheritted by a male Hindu from in fathers father or fathers father is ancestral property essential feather of an cestral property recording to mitkshra law is that these sons grand son and great son and other person who inherits attached to such property at the moment of their Birth कहने का तात्पर्य यह है कि खतियानी जमीन में दादा की सम्पति में लड़का या पोता का अधिकार जन्म सिद्ध/By Birth अधिकार है। अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि–"उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न राजस्व कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खतियान के अनुसार मौजा–खुट्टीकेवाल कलां खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, रकवा–0.67 एकड़, प्लॉट संख्या–64 रकवा–0.02 एकड़ प्लॉट संख्या–65, रकवा–0.33 एकड़ प्लॉट संख्या–70, रकवा–0.39 एकड कुल रकवा–1.41 एकड़ है प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे में समर्पित शपथ पत्र संख्या–3359, दिनांक–22.05.2023 के अनुसार खतियानी रैयत मंगर अहिर के दो पुत्र बंधु महतो एवं बेंगु महतो है जिसमें आवेदक बंधु महतो के वंशज है तथा बिपक्षीगण बेंगु महतो के वंशज है। इस तरह प्रतिवेदित भूमि का कुल रकवा–1.41 एकड़ में से 0.70½ एकड महतो के वंशज को हाता है तथा 0.70½ एकड बेंगु महतो के वंश्ज को होता है। वर्तमान समय में प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी पंजी 2 के पृ0संख्या–23/1 पर हरखु महतो के नाम से खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65 एवं 70 कुल रकवा–1.41 एकड की जमाबंदी में प्रथम पक्ष के हिस्से के अनुसार 0.70½ एकड एकड़ की रकवा को छाटते हुए प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित वंशावली के आधार पर कैलाश यादव, कुलदीप यादव, नारायण यादव एवं दारा यादव सभी पिता लच्छु महतो के नाम से खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, रकवा–0.67 मधे रकवा– 0.33½ एकड प्लॉट

संख्या–64, रकबा–0.02 एकड़ मधे रकबा–0.01 एकड़ प्लॉट संख्या–65, रकबा–0.33 एकड़ मधे रकबा–0.16½ एकड़ प्लॉट संख्या–70, रकबा–0.39 एकड़ मधे रकबा–0.19½ एकड़ कुल रकबा–0.70½ एकड़ एकड़ की जमाबंदी कायम कर बकाये तिथि से लगान वसूली करें। अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।"

उपरोक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, हण्टरगंज से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन तथा कागजातों के अवलोकन से निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1) रैयती भूमि का मामला।
2) उभय पक्षों के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा
3) उभय पक्षों के हित में जमाबंदी कायम होना।

1) रैयती भूमि का मामला – अंचल अधिकारी, हण्टरगंज का आदेश फलक के अनुसार– खतियान के अनुसार मौजा–खुट्टीकेवाल कलां थाना संख्या–46, खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65 एवं 70 कुल रकबा–1.41 एकड़ भूमि का **खतियानी रैयत मंगरा अहीर दर्ज है।** प्रतिवेदित भूमि रैयती खाते की है। अभिलेख में संलग्न ऑनलाईन खतियान की प्रति का अवलोकन किया गया । ऑनलाईन खतियान में मौजा–खुट्टीकेवल, खाता नम्बर–23 मंगरा अहीर, वल्द–सीतहि अहीर के नाम से दर्ज है।

2) उभय पक्षों के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा –प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित कथन में यह उल्लेखित किया है कि – "प्रश्नगत भूमि का विवरण– साकिन मौजा–खुट्टी केवाल कला, थाना नं0–46, थाना–हण्टरगंज जिला–हजारीबाग, वर्तमान जिला–चतरा के अंदर खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65, 70 कुल रकबा–1.52 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में **मंगरा अहीर** पिता शीतही अहीर के नाम से रैयती कायमी जमीन दर्ज है। सर्वे रैयत अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज दखलकार रहे तथा जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद निर्गत कराते रहे तथा तरह–तरह के फसल लगाकर अपने मशरफ में लाते रहे।" प्रथम पक्ष के द्वारा खतियान का हिन्दी रूपांतरण की प्रति दाखिल किया गया है। **साथ ही द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता** ने अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि– प्रश्नगत भूमि ग्राम–खुट्टी केवाल कला, थाना–हण्टरगंज के खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65 एवं 70 कुल रकबा–1.52 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में **मंगरा अहिर** के नाम से सर्वे के दौरान दर्ज है।" द्वितीय पक्ष के द्वारा खतियान का हिन्दी रूपांतरण की प्रति दाखिल किया गया है। निम्न न्यायालय अभिलेख के आदेश फलक में (अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजात के संदर्भ में), अंचल अधिकारी, हण्टरगंज द्वारा अंकित किया गया है कि–खाता संख्या–23 का खतियान की प्रति परन्तु खतियान की प्रति किसी कार्यालय से सत्यापित नहीं है। **अंचल अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि**–"राजस्व कर्मचारी के द्वारा दिनांक–28.05.2025 को स्थल निरीक्षण के दौरान लिखित ब्यान में दावा किया द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित खतियान की छायाप्रति एवं प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित खतियान की प्रति का अवलोकन किया है जिसके प्रथम पक्ष (इस न्यायालय के वाद में द्वितीय पक्ष) का खतियान के मंगरा अहीर खतियानी रैयत है जिसकी पुष्टि राजस्व कर्मचारी के द्वारा भी किया गया है।"

3) उभय पक्षों के हित में जमाबंदी कायम होना– अंचल अधिकारी, हण्टरगंज के द्वारा **अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि**–"खतियान के अनुसार मौजा–खुट्टीकेवाल कलां खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, रकबा–0.67 एकड़ प्लॉट संख्या–64 रकबा–0.02 एकड़ प्लॉट संख्या–65, रकबा–0.33 एकड़ प्लॉट संख्या 70,

रकबा–0.39 एकड़ कुल रकबा–1.41 एकड़ है प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे में समर्पित शपथ पत्र संख्या–3359, दिनांक–22.05.2023 के अनुसार खतियानी रैयत मंगर अहिर के दो पुत्र बंधु महतो एवं बैंगु महतो है जिसमें आवेदक बंधु महतो के वंशज है तथा विपक्षीगण बैंगु महतो के वंशज है। इस तरह प्रतिवेदित भूमि का कुल रकबा–1.41 एकड़ में से 0.70½ एकड़ महतो के वंशज को हाता है तथा 0.70½ एकड़ बैंगु महतो के वंशज को होता है। वर्तमान समय में प्रतिवेदित भूमि का जमाबंदी पंजी 2 के पृ0संख्या–23/1 पर हरखु महतो के नाम से खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, 64, 65 एवं 70 कुल रकबा–1.41 एकड़ की जमाबंदी में प्रथम पक्ष के हिस्से के अनुसार 0.70½ एकड़ एकड़ की रकबा को छाटते हुए प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित वंशावली के आधार पर कैलाश यादव, कुलदीप यादव, नारायण यादव एवं दारा यादव सभी पिता लच्छु महतो के नाम से खाता संख्या–23, प्लॉट संख्या–61, रकबा–0.67 मधे रकबा–0.33½ एकड़ प्लॉट संख्या–64, रकबा–0.02 एकड़ मधे रकबा–0.01 एकड़ प्लॉट संख्या–65, रकबा–0.33 एकड़ मधे रकबा–0.16½ एकड़ प्लॉट संख्या–70, रकबा–0.39 एकड़ मधे रकबा–0.19½ एकड़ कुल रकबा–0.70½ एकड़ एकड़ की जमाबंदी कायम कर बकाये तिथि से लगान वसुली करे।"

उपरोक्त तथ्यों के अलावे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण Judgement इस तरह है–

In the case of "Sitaram Choubey & Ors. - versus - State of Bihar & Ors., reported in 1993 (2) PLJR 255" as well as the Supreme Court in the case of of "Suraj Bhan & Ors.- versus- Financial Commissioner & Others, reported in (2007) 6 SCC 186" have held that entries in the revenue records does not confer title on a person whose name appears in record of-rights. The creation of Jamabandi neither creates any right and title in favour of one or the other nor cancellation of Jamabandi extinguishes right and title of actual owner. The entries in the revenue records or Jamabandi have only "fiscal purpose" and be ownership in conferred on the basis of such entries. The title of the property can only be decided by a competent civil court.

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर संबंधित जमीन में स्वामित्व का मामला परिलक्षित होता है। खतियान के मुताबिक जमीन का किस्म रैयती है। इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामलें में civil court/ सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष civil court/सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, हंटरगंज को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:45:45 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe